प्रकरण संख्या–92/2014 तारीख रजु–01.10.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

1. अजराम आयु 50 साल
2. सिया उम्र 47 साल
3. महेश आयु 45 साल
4. लाखन आयु 40 साल
5. वीरेन्द्र आयु 35 साल

पुत्रान रामधन जाति गुर्जर, निवासीयान काशीरामपुरा, तहसील व जिला करौली (राज.)

– अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली, तहसील व जिला करौली – रेस्पोडेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 19.03.2014 न्यायालय तहसीलदार करौली मु. नं. 414/14 उनवानी सरकार बनाम अजराम वगैरह जिसकी रूह से अपीलाण्ट्स को 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक–05.02.2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 19.03.14 अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई व जबावदेही व साक्ष्य का अवसर दिये बगैर विधि विरुद्ध रूप से पारित किया है। अपीलाण्ट्स ने आराजी खसरा नंबर 2099/1 रकबा बीघा ग्राम गुड़ला पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 19.03.14 से पूर्व हटा लिया है। भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। यह तथ्य अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय को मौखिक रूप से बताया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना मौके की जांच कराये जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध रूप से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अण्डरटेकिंग न्यायालय में प्रस्तुत करने को तैयार है। अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 28.09.14 को अपीलाण्ट के घर पुलिस वारंट लेकर जाने पर घरवालों से तहसील से वारंट होने की कहने पर एवं दिनांक 29.09.14 को अपीलाण्ट द्वारा नकल निर्णय आवेदन करने पर निर्णय दिनांक 19.03.14 के निर्णय की नकल दिनांक 01.10.14 को प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी नहीं रही है। अतः दिनांक 19.03.14 से 28.09.14 तक समय जानकारी के अभाव में कण्डोन किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 19.03.14 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय दिनांक 19.03.14 अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई व जबावदेही व साक्ष्य का अवसर दिये बगैर विधि विरुद्ध रूप से पारित किया है। अपीलाण्ट्स ने आराजी खसरा नंबर 2099/1 रकबा बीघा ग्राम गुड़ला पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 19.03.14 से पूर्व हटा लिया है। भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। यह तथ्य अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय को मौखिक रूप से बताया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना मौके की जांच कराये जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध रूप से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया है एवं नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त खसरा नम्बर 2099/1 रकबा 08 बीघा ग्राम गुड़ला पर अपना अतिक्रमण नहीं होने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया है। अतः मौके की जांच हेतु अपील को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाती है कि मौके की पुनः जांच की जावे। यदि उक्त खसरा नम्बर 2099/1 रकबा 08 बीघा किस्म गै.मु. बेहड़ पर अपीलाण्ट्स का कब्जा नहीं हो तो तहसीलदार करौली का निर्णय अपास्त रहेगा अन्यथा तहसीलदार करौली का निर्णय यथावत् रहेगा। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली